

## कार्यालय अध्यक्ष क्रय समिति जिला एवं सेशन न्यायालय, प्रतापगढ़(राज0)

क्रमांक :-नवीनआईटम/2023.24/612

दिनांक :08.02.2024



### -:: खुली बोली सूचना ::-

सर्व साधारण को खास तौर पर नवीन फर्नीचर सप्लायर्स को सूचित किया जाता है कि इस न्यायक्षेत्र में सम्मिलित न्यायालयों हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए नवीन फर्नीचर यथा डायस टेबल, डायस चेयर, कोर्ट रूम टेबल, ऑफिस चेयर एवं कोर्ट हैंगिंग केबिनेट की आवश्यकता के लिए विनिर्दिष्ट पंजीकृत बोलीदाता/ संवेदक से राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम-2013 के तहत द्वि-भागीय (तकनीकी एवं वित्तीय) मुहरबन्द शर्तहित बोली आमंत्रित की जाती है :-

क्र. सं.	नवीन सामग्री विवरण	मात्रा	अनुमानित राशि (रूपये में)	अमानत राशि (रूपये में)	निविदा प्रपत्र शुल्क (रूपये में)
1.	<b>Dias Table (CourtRoom)</b> Table Size 6'x4'x2.5' Made in Superior MDF Board with foot rest, Front Flate, One side Three drawers & Other side Box , Fully Covered & 6" Round cut on top of sitting side (3" Border).	01	209000	4180 /	300 /-
2	<b>Dias Chairs</b> Best Class Revolving Chairs Dias Chairs	04			
3	<b>Court Room Table</b> Size: 4' x 2.5' x 2.5' Legs : 1" X1" in 16 Gaze MS Squire Pipe, Mica Top teak border without any drawer	07			
4	<b>Office Chairs</b> 16 Gaze Steel Capsule Pipe with Arm, S Type, Cushioned Seat & Back Size (20"x16")	42			
5	<b>Hanging Cabinet</b> Wooden Coat Hanging Cabinet	01			

निविदा प्रपत्र किसी भी कार्यालय दिवस में कार्यालय समय में निविदा बोली प्रपत्र शुल्क 300/- रूपये नकद/डी.डी. जमा करवाकर दिनांक 09.02.2024 प्रातः 11 बजे से से 21.02.2024 को दोपहर 12.00 बजे तक प्राप्त किये जाकर दिनांक 21.02.2024 को दोपहर 01:00 बजे तक निर्धारित धरोहर राशि एवं निविदा प्रपत्र में दर्शे भरकर मय समस्त दस्तावेज कार्यालय में जमा करवाये जा सकते हैं। तथापि बोली प्रारूप व संलग्न अन्य विवरण <http://sppp.rajasthan.gov.in> से भी प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त निविदा दिनांक 21.02.2024 को क्रमशः सायं 04:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी। निविदा का विस्तृत विवरण एवं शर्तें विभाग की वेबसाईट <http://district.ecourts.gov.in/pratapgarh> पर भी देखी जा सकेगी। वेबसाईट से निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की स्थिति में फॉर्म जमा करवाते समय प्रतिभूति राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट के साथ निविदा प्रपत्र मुल्य रूपये 300 का DD पृथक से निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

अध्यक्ष,  
क्रय समिति (नवीन आईटम)  
जिला एवं सेशन न्यायालय,  
प्रतापगढ़ (राज.)  
दिनांक :- 08.02.2024

क्रमांक :-नवीनआईटम/2023.24/613-618

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

- माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, प्रतापगढ़ (राज.)
- सिस्टम ऑफिसर जिला एवं सेशन न्यायालय, प्रतापगढ़ को विभागीय वेबसाईट एवं <http://sppp.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करने हेतु।
- सम्पादक राजस्थान पत्रिका प्रतापगढ़ को निविदा सूचना को प्रतापगढ़ संस्करण में न्यूनतम स्पेस में प्रकाशित किये जाने हेतु।
- नोटिस बोर्ड-कार्यालय हाजा/जिला कलेक्ट्री प्रतापगढ़/आम चौराहा-प्रतापगढ़

अध्यक्ष,  
क्रय समिति (नवीन आईटम)  
जिला एवं सेशन न्यायालय,  
प्रतापगढ़ (राज.)

कार्यालय अध्यक्ष क्रय समिति जिला एवं सेशन न्यायालय, प्रतापगढ़(राज0)



तकनीकी निविदा प्रपत्र (नवीन फर्नीचर आपूर्ति हेतु)

1. निविदादाता/फर्म का नाम मय पता	
2. फोन / मोबाईल नम्बर	
3. निविदा जिसके लिए दी गई	<b>Purchase of New Furniture for Court</b>
4. पेन नम्बर	
5. जीएसटी नम्बर	
6. एम.एस.एम.ई. पंजीयन क्रमांक	
7. निविदा की अधिकतम राशि	कुल 209000 / -
8. निविदा शुल्क की राशि	रु.300 / - डी.डी. सं.....दिनांक.....
9. प्रतिभूति राशि	रु.4180 / - डी.डी. सं.....दिनांक.....
9. निविदा प्रपत्र बेचने की अन्तिम दिनांक	21-02-2024 दोपहर 12.00 बजे तक
10. निविदा जमा कराने की दिनांक	21-02-2024 को 1.00 बजे तक
11. प्राप्त निविदाएं खोलने की दिनांक	21-02-2024 को 4.00 बजे

मैं/हम अध्यक्ष क्रय समिति, जिला एवं सेशन न्यायालय, प्रतापगढ़ द्वारा जारी की गई निविदा में वर्णित सभी शर्तों स्वीकार करते हैं। (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लिखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किया जाने के प्रमाण-पत्र में हमने हस्ताक्षर कर दिया है)

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील  
नाम.....

नोट:-क्रय की जाने वाली सामग्री के नमूने (Sample) एवं उससे संबंधित विस्तृत जानकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं। अनुमानित मात्रा में बदलाव किया जा सकता है।

कार्यालय अध्यक्ष क्रय समिति जिला एवं सेशन न्यायालय, प्रतापगढ़(राज0)

वित्तीय निविदा दर प्रपत्र ( फर्निचर आपूर्ति हेतु)



S.N.	ITEM	Specification	Rate per item in RS. (Included all taxes)	
01	<b>Dias Table (CourtRoom)</b>	Table Size 6'x4'x2.5' Made in Superior MDF Board with foot Rest, Front Flate One side Three drawers & Other side Box , Fully Covered & 6" Round cut on top of sitting side (3" Border).		
02	<b>Dias Chairs</b>	Best Class Executive High Back Revolving Chairs With Nack Support & Superior Chairs		
03	<b>Court Room Table</b>	Wooden Table Size: 4'x2.5'x2.5' Legs : 1" X1" in 16 Gaze MS Squire Pipe, Mica Top teak border without any drawer		
04	<b>Office Chairs</b>	16 Gaze Steel Capsule Pipe with Arm, S Type, Cushioned Seat & Back Size (20"x16")		
05	<b>Hanging Cabinet</b>	<i>Wooden</i> Coat Hanging Cabinet		

NOTE :- All the above Specification Should be read as 'Equivalent of Higher'

दरें शब्दों एवं अंकों दोनो में प्रस्तुत करें। ओवरराइटिंग एवं कटिंग है लघुहस्ताक्षर जरूर करें।

निविदादाता के हस्ताक्षर  
मय फर्म की सील

## निविदादाता द्वारा घोषणा



मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि मैने/हमने जिन मालों/सामानों/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके मैं/हम वास्तविक व्यापार कर्त्ता/अधिकृत थोक विक्रेता एवं उत्पादनकर्त्ता हूँ/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपहृत कर लिया जा सकेगा तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील  
नाम.....

(जो लागू हो उसे / करें)

## कार्यालय : अध्यक्ष क्रय समिति जिला एवं सेशन न्यायालय, प्रतापगढ़ (राज.)

### निविदा की शर्तें



निविदादाता को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा निविदा भेजते समय इसकी पूर्ण रूपेण पालना करनी चाहिए। इन शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदा प्रस्तावक के हस्ताक्षर होना आवश्यक है अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। इस निविदा के क्रम में किए जाने वाले क्रय पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के प्रावधान प्रभावी होंगे। उक्त सामग्री का आपूर्ति के संबंध में दर प्रस्तुत करते समय राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियमानुसार दर प्रस्तुत करने से पूर्व क्रय समिति से विस्तृत स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेंगे तथा दर प्रस्तुत करते समय सामग्री का तकनीकी विवरण लिखा जावे जिसके आधार पर दर व किस्म में तुलना की जा सके।

निविदा प्रपत्र निर्धारित तिथि एवं निर्धारित समय तक कार्यालय समय में इस कार्यालय की लेखा शाखा में से प्राप्त किया जा सकता है। निविदा की शर्तें भी कार्यालय समय में इस कार्यालय की भण्डार/लेखा शाखा में देखी जा सकती है।

1. निविदा के मुहरबन्द लिफाफे में अंकित दस्तावेज तथा निविदा को निर्धारित प्रपत्र के साथ संलग्न सामान्य शर्तों के प्रपत्र एवं अन्य आवश्यक प्रपत्र हस्ताक्षरित एवं फर्म की मुहर अंकित किये जाकर संलग्न करने हैं।  
निविदा में दी गई दरे वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए GST सहित FOR जिला न्यायालय प्रतापगढ़/छोटीसादडी/धरियावद होनी आवश्यक हैं। कर की समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
2. निविदा पूर्ण रूप से भरी जाकर मुहरबन्द लिफाफे में प्रेषित की जानी है। लिफाफे पर "फर्नीचर के लिए निविदा" स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिये। निविदाकर्ता निविदा के सभी पृष्ठों पर मुहर सहित हस्ताक्षर करेंगे।
3. प्राप्त हुई निविदाओं को दिनांक 21.02.2024 को सांय 04.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जावेगा। निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. आदेशित सामग्री की मात्रा में कमी अथवा वृद्धि के सम्बंध में समस्त अधिकार क्रय समिति, जिला एवं सेशन न्यायालय, प्रतापगढ़ के पास सुरक्षित होंगे।
5. निविदा में वर्णित प्रत्येक आईटम की एकल दरें ही मान्य होंगी तथा एक से अधिक दरें देने पर सम्बंधित आईटम की दर अस्वीकार्य होंगी।
6. निविदा दाता द्वारा प्रस्तुत दरों में जीएसटी एवं अन्य समस्त कर एवं समस्त प्रकार के प्रभार सम्मिलित होंगे।
7. निविदा प्रपत्र स्याही से या टंकन से भरा जाएगा। पेंसिल से भरी हुई किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
8. दरें नियत स्थान पर अंको एवं शब्दों दोनों में लिखी जाएगी। इसमें कोई काट-छाँट एवं उपरी लेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियां करनी आवश्यक हो तो वे स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं दिनांक सहित उन पर लघु हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
9. निविदा दाता द्वारा प्रस्तुत दरों में अंकों एवं शब्दों में वर्णित दरों में अंतर नहीं होना चाहिए। अंतर होने की स्थिति में जो भी दर कम होगी उस पर विचार किया जाएगा।
10. माल की आपूर्ति/फिक्सिंग इस न्यायक्षेत्र के न्यायालयों यथा प्रतापगढ़ मुख्यालय में स्वयं के खर्च पर की जानी होगी।
11. आपूर्तिकर्ता अपनी संविदा को किसी अन्य एजेंसी के लिए नहीं सौपेगा या उपभाड़े (सब-लैट) पर नहीं देगा।
12. आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की प्रयोगशाला/तकनीकी जांच आवश्यक है तो आपूर्ति के साथ जांच प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें। आपूर्ति के पश्चात् कोई गुणवत्ता सम्बंधी विपरीत स्थिति पाई जाती है तो कय आदेश निरस्त किया जा सकेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता फर्म की होगी।
13. सफल निविदा दाता द्वारा सप्लाय की गई सामग्री का विभाग किसी भी समय सामग्री की निविदा के स्पेसीफिकेशन अनुसार सरकारी प्रयोगशाला से जांच कराने के लिए स्वतंत्र होगा। यदि सामग्री निविदा के स्पेसीफिकेशन अनुसार पाई गई तो जांच के परीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किए जायेंगे। अन्यथा उक्त प्रभार निविदा दाता को वहन करने होंगे।



14. निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुएं निर्धारित मापदण्ड के अनुसार नहीं पाई जाएगी, उन्हें रद्द कर दिया जाएगा तथा निविदा दाता द्वारा ऐसी वस्तुओं/सामग्री को क्रेता अधिकारी द्वारा नियत समय (1 माह) के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदलना होगा।
15. निविदा की शर्तों का उल्लंघन करने पर बिना नोटिस दिए अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा। शर्तों के संबंध में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद को निर्णित करने के संबंध में जिला एवं सेशन न्यायाधीश, प्रतापगढ़ का निर्णय अंतिम होगा जो निविदा दाता को बाध्य होगा।
16. निविदा दाता उचित पैकिंग/फिक्सिंग करने के लिए उत्तरदायी होगा। किसी प्रकार की हानि, क्षति, कमी होने के मामले में निविदा दाता उन सामग्रियों की जांच/निरीक्षण किए जाने पर पाई गई ऐसी हानि एवं कमी की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नहीं की जाएगी।
17. आपूर्तिकर्ता द्वारा सामग्री की आपूर्ति कार्यादेश के अनुसार निर्धारित समयावधि में की जानी होगी। सामग्री की सप्लाई आदेशानुसार या समय पर नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी, जिसका उत्तरदायित्व संबंधित फर्म का होगा।
18. यदि क्रेताधिकारी किन्ही निविदत वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा में कम मात्रा में माल खरीदता है तो निविदा दाता किसी क्षति पूर्ति का क्लेम करने के अधिकृत नहीं होगा।
19. भुगतान :-
  - (1) राशि का भुगतान दिए गए आदेश के अनुरूप सामग्री पूर्ण एवं सही हालत में प्राप्त होने पर दिया जाएगा।
  - (2) भुगतान निविदा दाता क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुरूप बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार निविदा दाता द्वारा वहन किये जाएंगे।
  - (3) नियमानुसार देय कर की कटौती भुगतान के समय स्रोत पर की जाएगी।
  - (4) निविदादाता द्वारा अंकित की गई दर में सभी प्रकार के कर एवं व्यय शामिल होंगे।
20. परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages) के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जाएगी, जिनकी निविदादाता सप्लाई करने में असफल रहा है :-
  - 1(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5 प्रतिशत।
  - (ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि के लिए 5 प्रतिशत।
  - (ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की तीन चौथाई अवधि के लिए 7.5 प्रतिशत।
  - (घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक अवधि के विलम्ब के लिए 10 प्रतिशत।
  - 2 परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।
  3. यदि प्रदायकर्ता किन्ही बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि कराना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा, जिसने प्रदायगी अवधि हेतु आदेश दिया है, किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न किये सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।
  4. यदि माल के सप्लाई कार्य करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदा दाताओं के नियंत्रण से परे कारणों से हुई तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि जिला एवं सेशन न्यायाधीश, प्रतापगढ़ के विवेक पर नियमानुसार परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।
21. वसूलियां :-परिनिर्धारित नुकसानी, कम प्रदाय, रद्द की गई वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिलों में रोकी जाएगी। कम सप्लाई, रद्द किये गये माल की मात्रा की राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायरसंतोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages) के साथ वसूली उसकी देय राशि क्लेम्स एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी।
22. क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाए, किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए निविदा दाता ने निविदा दी है, उन सबके लिए या किसी एक या अधिक के लिए निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक से अधिक सामान की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।
23. यदि संविदा के निर्वहन आशय का संविदा की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वह प्रकरण विभागाध्यक्ष को भेजा जाएगा एवं इसमें अंतिम निर्णय विभागाध्यक्ष का ही होगा, जो कि निविदादाता को मान्य होगा।

24. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, तो किसी भी पक्षकार सरकार की निविदा दाताओं द्वारा प्रतापगढ़ न्यायिक क्षेत्र में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी।
25. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त जहां आवश्यक हो राजस्थान सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम और राजस्थान उपापन एवं पारदर्शिता नियम, 2013 के प्रावधान यथास्थान लागू होंगे।

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने उपर्युक्त समस्त शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ एवं समझ लिया है जो हमें स्वीकार्य है, जिसकी सहमति के रूप में निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील  
नाम.....  
मोबाइल नं.....